न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री मुन्नीराम बागड़िया, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 12/2023 GCMS NO. 2023/56

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. वासुदेव खत्री पुत्र श्री थिरपल दास खत्री निवासी रामगढ जिला जैसलमेर		1. हिरालाल पुत्र श्री मोतीराम खत्री जाती खत्री निवासी रामगढ़ जिला जैसलमेर। 2. टेलाराम पुत्र श्री अमरचंद जाति खत्री निवासी रामगढ जिला जैसलमेर। 3. सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ जिला जैसलमेर 4. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रामगढ जिला जैसलमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री जयप्रकाश गर्ग व चनणाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राशिद अहमद मेहर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक :– 24.06.2024

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस अप्रार्थीगण को जारी किए गए। निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा जारी व्यावसायिक दुकानों का पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के विरूद्ध फर्जी व गलत जारी किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को ग्राम पंचायत रामगढ द्वारा जारी व्यावसायिक दुकानों के पट्टे पर प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी का आगे कथन है कि सारी कार्यवाही अन्दर ही अन्दर की गई है सार्वजनिक नहीं की गई है। मिथ्या साक्ष्य गढकर बमिलावट अप्रार्थी 3 व 4 से पट्टा जारी कराया गया जो पंचायती राज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

नियमों के विरूद्ध एवं प्रारंभत नल एंड वोईड होने से निरस्ती योग्य है। प्रार्थी का अनुरोध है कि प्रश्नगत पट्टे खारिज किये जाए।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दु, तथ्यों के विपरीत एवं आधारहीन हैं और यह कि प्रश्नगत पट्टा विधि सम्मत एवं पोषणीय है। अपने जबाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जारी प्रश्नगत पट्टे की रसीदें, मिसल पत्रावलियां, ग्राम पंचायत रामगढ़ का पट्टा जारी करने संबंधी प्रस्ताव, प्रश्नगत पट्टे के पंजीयन तथा कार्यवाही की प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र में जिस दस्तावेज को चुनौती दी जा रही है उसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जाती है परंतु प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने कथन किया कि उसके द्वारा जो निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसी को बहस समझा जावें। अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि जो उसने जवाब प्रस्तुत किया है उसी को बहस समझा जावें। प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेंदन किया कि ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी व्यावसायिक पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है। उनका आगे तर्क रहा है कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने में निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नही हुआ है एवं प्रश्नगत पट्टा मिलावट से फर्जी जारी हुआ हैं जिसे निरस्त किया जाना वांछनीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 का तर्क रहा कि प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा जारी किया गया है जिसका अभिलेख विधिवत संधारित है। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अप्रार्थी संख्या 01 हिरालाल पुत्र मोतीराम व अप्रार्थी संख्या 02 टेलाराम पुत्र अमरचंद को पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत की बैठक का कार्यवाही विवरण जिसमें पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया, पट्टा शुल्क जमा कराने की रसीद, पंजीकृत प्रश्नगत पट्टे की प्रतियां प्रस्तुत कर आगे कथन किया है कि ग्राम पंचायत रामगढ ने संकल्प संख्या 02/21.09.2015 के तहत पंचायत समिति सम के आदेश संख्या 5228 दिनांक 23.11.2015 के अनुसरण में दिनांक 21.12.2015 व संकल्प संख्या 03/20.05.2018 के तहत पंचायत समिति सम के आदेश संख्या 1631 दिनांक 26.07.2019 के अनुसरण में दिनांक 13.11.2019

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

के तहत आबादी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 01 को व्यावसायिक पट्टा संख्या 26 व अप्रार्थी संख्या 01 को व्यावसायिक पट्टा संख्या 06 जारी किया गया जो विधि विधान, न्याय सिद्वान्तों को मध्य नजर रखते हुए सही व निष्पक्ष है। ग्राम पंचायत रामगढ़ ने अपने जवाब में बताया कि प्रश्नगत पट्टे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किये गये है जिसका अभिलेख विधिवत संधारित है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक का कार्यवाही विवरण जिसमें पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया गया, पट्टा शुल्क जमा कराने की रसीद, पंजीकृत प्रश्नगत पट्टे इत्यादि की मूल प्रतियां प्रस्तुत की गई।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया । अप्रार्थी संख्या 01 एवं 04 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रश्नगत आवासीय पट्टे ग्राम पंचायत, रामगढ़ ने अपनी बैठक दिनांक 21.12.2015 में अप्रार्थी हीरालाल पुत्र मोतीराम खत्री व बैठक दिनांक 13.11.2019 में अप्रार्थी टेलाराम पुत्र श्री अमरचंद जाति खत्री को व्यावसायिक पट्टे जारी करने का निर्णय लिया है व प्रश्नगत पट्टे उसी अनुसरण में जारी कर उनका पंजीयन हुआ है। ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जारी किए गए पट्टे में प्रार्थी कोई सारभूत अनियमितता सिद्ध नहीं कर पाया है। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 04 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के परिपेक्ष्य में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र संधारणीय नही ठहरता है। अतऐव समग्र विवेचन के आधार पर प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(मुन्नीराम बागड़िया)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर